

दक्षिण मध्य रेलवे/SOUTH CENTRAL RAILWAY



प्रधान कार्यालय/Headquarters office,  
कार्मिक विभाग/Personnel Department,  
रेल निलयम/Rail Nilayam,  
चौथी मंजिल/4<sup>th</sup> Floor,  
सिकंदराबाद/Secunderabad-500 003.

संख्या/ No. SCR/P-HQ/256(a)/Gaz/8/MD/Sr.R/Vol.III

दिनांक/Date: 09.04.2025

**ENGAGEMENT OF SENIOR RESIDENTS (GENERAL MEDICINE) IN CENTRAL HOSPITAL, LALLAGUDA, SCUNDERABAD ON CONTRACT BASIS**

**NOTIFICATION**

1. South Central Railway invites applications from eligible candidates for the post of Senior Residents (General Medicine) in Central Hospital, Lallaguda on contract basis up to 31.12.2025 and further extendable up to maximum of 3 years subject to NBE accreditation and extension of currency of the posts from time to time.

Specialty	No. of Posts	Communal Break-up	Maximum age as on 01.04.2025
General Medicine	2	UR – 1 OBC – 1	UR – 37 years; OBC – 40 years, Relaxable by 3 years with the approval of PCMD in case candidates with prescribed age are not available.

**2. Educational qualifications:**

- Post Graduate Degree/DM/DNB in the concerned Specialty from any University recognized by State/Central Government.
- If candidates with PG qualification in a particular specialty are not available, candidates having at least three years' experience after MBBS out of which one year Junior Residency in Government Hospital or NMC recognized private Hospital in the concerned specialty, will be considered.
- The qualifications will be reckoned as on 01.04.2025.

**3. Remuneration:** Rs. 67,700/- pm plus admissible allowances.

4. **How to apply:** The application format (ANNEXURE-I) is available on the website i.e. [scr.indianrailways.gov.in](http://scr.indianrailways.gov.in). The applicant shall email the duly filled in applications to the email-id: [apogazscr@gmail.com](mailto:apogazscr@gmail.com) together with documents in support of educational qualifications/Community certificate (only for the OBC candidates)/experience certificates. Applications NOT accompanied by documents in support of Age/Educational qualifications/Community will summarily be rejected. No correspondence on rejection will be entertained at a later date. The candidates should therefore ensure that they carefully fill in the application form and also enclose the relevant documents. The last date for uploading the applications is **25.04.2025**.

  
Contd..P-2  
09/04/25




**5. Certificates to be enclosed by the OBC candidates:**

OBC candidates applying for the post of Sr. Resident (General Medicine) have to submit the latest OBC certificate issued by MRO/Tehsildar in the format appearing in ANNEXURE-II.

**6. Terms and conditions of the engagement:**

- i. The appointment of Sr. Resident Doctor is purely on contract basis for the period up to 31.12.2025 only and further extendable up to maximum of 3 years subject to extension of NBE accreditation and currency of the posts from time to time. The appointment does not confer any right for regularization or appointment in Railways.
- ii. Duties and responsibilities of the Senior Resident Doctors will be as fixed by the Railway Administration from time to time. They will be required to perform the assigned duties as may be needed in the legitimate interest of Railway administration including National Programme or during Railway accidents, in addition to their work in their specialty. The Senior Resident Doctors shall be required to be on call duty not exceeding 12 hours/day and no private practice shall be permitted.
- iii. The Senior Resident Doctors will be eligible for weekly rest/off and leaves as per the extant instructions in force during their contract period.
- iv. Residential unfurnished accommodation would be provided to Senior Resident Doctors subject to the availability. If railway accommodation is provided after meeting the requirement of serving Railway Officers, an amount equivalent to applicable HRA payable to the directly recruited GROUP 'A' Officer and license fee of the Railway accommodation will be deducted from the monthly remuneration/pay.
- v. The contract can be terminated by the Railway Administration at any time during the contract period by giving 30 days' notice without assigning any reason as per the terms and conditions laid down in Railway Board's letter No. 88/H/2-1/9 dated 24.06.2008.
- vi. In case of the Senior Resident gets selected for regular IRHS through UPSC in future, the service rendered as Sr. Resident on contractual basis will not be counted for any purpose including regularization or absorption.

- 7. Method of Selection:** The eligible candidates will be interviewed by the nominated committee on the specified date and time which will be notified to the candidates on their mobile number or email-id given in the application.

  
(D. Narasimha)  
APO/Gaz

for Principal Chief Personnel Officer



**APPLICATION FOR THE POST OF SR. RESIDENT (GENERAL  
MEDICINE) IN RESPONSE TO NOTIFICATION NO. SCR/P-  
HQ/256(A)/GAZ/SR.R/VOL.III DATE 09.04.2025**

To

PCPO/SCR

Post applied for **Sr. Resident (General Medicine)**

Affix latest pass-  
port size photo  
duly attested by  
Gazetted officer

**A) Personal details** (any suppression of facts or false information will lead to cancellation of candidature):

1	Name (in Block letters)	
2	Father's /Husband's Name	
3	Date of Birth (as per SSC certificate)	
4	Age as on 01.04.2025	____ Years ____ Months ____ days
5	Nationality	
6	Community	
7	Present Address/Mailing Address	
8	Aadhar No.	
9	WhatsApp Mobile No.	
10	e-mail id	

**B) Educational/Professional Qualification:**

Examination	Year of Passing	Medical College/University	No. of attempts	Total Marks	% of Marks
MBBS					
PG Diploma*					
PG Degree*					
Post Graduate Doctoral Degree					
Details of publications, papers presented during PG					
Date of completion of rotating internship:					

\* Must have passed on or before 01.04.2025. Candidates appeared in final examination and waiting for results need not apply.



Registration Details			
	Registration No.	Date:	
National Medical Commission			
State Government			
Details of previous work experience:			
Name of the Hospital/City	Capacity	Period	
		From	To

**C) Copies of certificates to be enclosed duly attested by Gazetted officer:**

- SSC/SSLC certificate in support of date of birth
- Community certificate (OBC issued by competent authority)
- ID Proof (PAN Card/Aadhar Card/Voter ID Card/Passport)
- Consolidated Marks Sheet of MBBS
- Degree certificate of MBBS
- Internship completion certificate
- NMC/State Registration Certificate
- Post Graduation Certificate (NMC recognized only)
- PG Diploma Certificate (NMC recognized only)
- Experience Certificate
- Conference Certificate
- Publications and details
- Proof of present address/permanent address

**D) Declaration:**

I, Dr. (Mr./Ms.) \_\_\_\_\_ Son/Daughter/Wife of \_\_\_\_\_ hereby solemnly declare that statements made above by me are correct and true to the best of my knowledge and belief. Further, I do undertake that the above statement, if found false at any stage in future, my appointment shall be liable to be cancelled by the administration immediately and I shall be liable for punitive/disciplinary/civil or criminal legal action whatever deemed fit.

I understand that I am not eligible for any TA/DA/Railway Pass for any journey undertaken before my engagement.

Date:

Place:

Signature of the candidate



FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES  
APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/ daughter of  
 \_\_\_\_\_ of village/town \_\_\_\_\_ in  
 District/Division \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory  
 \_\_\_\_\_ belong to the \_\_\_\_\_  
 community which is recognised as a backward class under the Government of India, Ministry of  
 Social Justice and Empowerment's Resolution No. \_\_\_\_\_ dated  
 \_\_\_\_\_. \* Shri / Smt. / Kumari \_\_\_\_\_ and / or his / her family  
 ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District / Division of the  
 \_\_\_\_\_ State / Union Territory. This is also to certify that he / she does  
 not belong to the persons / sections [Creamy Layer] mentioned in Column 3 of the Schedule to  
 the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93 – Estt.  
 [SCT] dated 8.9.1993\*\*

District Magistrate  
 Deputy Commissioner etc.

Dated:

Seal

-----

\* The Authority issuing the certificate may have to mention the details of resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

\*\* As amended from time to time.

Note: - The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.



**OBC Undertaking**  
**Declaration/Undertaking – for OBC Candidates only**

I, \_\_\_\_\_ son/daughter of Shri \_\_\_\_\_  
resident of village/town/city \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_  
State hereby declare that I belong to the \_\_\_\_\_ community which is recognised as a  
backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per  
orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum  
No.36012/22/93- Estt. (SCT), dated 8/9/1993. I also declare that I do not belong to  
persons/selections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Scheduled to the above  
referred Office Memorandum, dated 8/9/1993, which is modified vide Department of Personnel  
and Training Office Memorandum No.36033/3/2004 Estt.(Res.) dated 9/3/2004. I also declare  
that the condition of status/annual income for creamy layer of my parents/guardian is within  
prescribed limits as on financial year ending on March 31, 2025.

Signature of the Candidate

Full Name:

Correspondence Address:

Place:

Email:

Mobile No:

Date:

**Note: declaration/undertaking not signed by Candidate will be rejected**





## दक्षिण मध्य रेलवे/SOUTH CENTRAL RAILWAY



प्रधान कार्यालय/Headquarters office,  
कार्मिक विभाग/Personnel Department,  
रेल निलयम/Rail Nilayam,  
चौथी मंजिल/4<sup>th</sup> Floor,  
सिकंदराबाद/Secunderabad-500 003.

संख्या/ No. SCR/P-HQ/256(a)/Gaz/8/MD/Sr.R/Vol.III

दिनांक/Date: 09.04.2025

केंद्रीय अस्पताल, लालागुडा, सिकंदराबाद में अनुबंध के आधार पर सीनियर रेसिडेंट (जनरल मेडिसिन) की नियुक्ति

### अधिसूचना

1. दक्षिण मध्य रेलवे, केंद्रीय अस्पताल, लालागुडा में सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए अनुबंध के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से दि.31.12.2025 तक आवेदन आमंत्रित करती है तथा इन पदों की अवधि को एनबीई मान्यता और समय-समय पर पदों की करेंसी के विस्तार के अधीन अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.


विशेषज्ञता	पदों की सं.	समुदायवार ब्रेक-अप	दि.01.04.2025 तक अधिकतम आयु
जनरल मेडिसिन	2	अनारक्षित - 1 अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) - 1	अनारक्षित - 37 वर्ष; अन्य पिछड़ा वर्ग - 40 वर्ष, यदि निर्धारित आयु वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पीसीएमडी) के अनुमोदन से आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.

### 2. शैक्षणिक योग्यता :

- I. राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री/डीएम/डीएनबी.
- II. यदि किसी विशेष विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो एमबीबीएस करने के उपरांत कम से कम तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से एक वर्ष संबंधित विशेषज्ञता में सरकारी अस्पताल या एनएमसी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंसी शामिल है, रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा.
- III. योग्यता की गणना दि.01.04.2025 तक की जाएगी

### 3. पारिश्रमिक: 67,700/- रु.प्रति माह के साथ स्वीकार्य भत्ते

4. आवेदन कैसे करें : आवेदन का प्रारूप (अनुलग्नक-I) वेबसाइट अर्थात् [scr.indianrailways.gov.in](http://scr.indianrailways.gov.in) पर उपलब्ध है. आवेदकों को विधिवत भरे हुए आवेदन को ईमेल आईडी: [apogazscr@gmail.com](mailto:apogazscr@gmail.com) पर शैक्षणिक योग्यता/समुदाय प्रमाण पत्र (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए)/अनुभव प्रमाण पत्र के साथ ईमेल करना होगा. आयु/शैक्षणिक योग्यता/समुदाय के समर्थन में दस्तावेज न होने पर आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा. बाद में अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करें. आवेदन अपलोड करने की अंतिम तारीख **25.04.2025** है.

  
Contd. R-2  
09/04/25




5. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र :

सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनुलग्नक-II में दिए गए प्रारूप में एमआरओ/तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

6. अनुबंध की शर्तें एवं नियम:

- i. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति केवल दि.31.12.2025 तक की अवधि के लिए पूर्णतः अनुबंध के आधार पर है तथा समय-समय पर एनबीई मान्यता तथा पदों की करेंसी के विस्तार के अधीन इसकी अवधि अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है. यह नियुक्ति रेलवे में नियमितीकरण या नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है.
- ii. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी और जिम्मेदारियाँ रेलवे प्रशासन द्वारा समय-समय पर तय की जाएंगी. उन्हें अपनी विशेषज्ञता के कार्य के अलावा, राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित रेलवे प्रशासन के वैध हित में या रेलवे दुर्घटनाओं के दौरान आवश्यकतानुसार सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना होगा. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे/दिन ड्यूटी पर रहना होगा और निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- iii. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी अनुबंध अवधि के दौरान लागू वर्तमान अनुदेशों के अनुसार साप्ताहिक विश्राम/छुट्टी और अवकाश के लिए पात्र होंगे.
- iv. सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को उपलब्धता के आधार पर बिना सामान वाला आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाएगा. यदि सेवारत रेलवे अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के बाद रेलवे आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो सीधे भर्ती किए गए ग्रुप 'ए' अधिकारी को देय लागू एचआरए और रेलवे आवास के लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि मासिक पारिश्रमिक/वेतन से काट ली जाएगी.
- v. रेलवे बोर्ड के दिनांक 24.06.2008 के पत्र सं.88/एच/2-1/9 में निर्धारित शर्तों के अनुसार, रेलवे प्रशासन द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है.
- vi. यदि भविष्य में यूपीएससी के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट नियमित आईआरएचएस के लिए चयनित हो जाता है, तो अनुबंध के आधार पर सीनियर रेजिडेंट के रूप में की गई सेवा की गणना नियमितीकरण या आमेलन सहित किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी.

7. चयन की विधि : नामित समिति द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसकी सूचना उम्मीदवारों को आवेदन में दिए गए उनके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर दी जाएगी.

  
(डॉ. नरसिंहा) 09/04/25-

सहायक कार्मिक अधिकारी/राजपत्रित  
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी



अधिसूचना संख्या एससीआर/पी-एचक्यू/256(ए)/जीएजेड/एसआर.आर/वॉल्यूम.III दिनांकित  
09.04.2025 के प्रत्युत्तर में सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) के पद के लिए आवेदन

सेवा में  
प्रमुकाधि/दमरे

सीनियर रेजिडेंट (जनरल मेडिसिन) - पद के लिए आवेदन

राजपत्रित अधिकारी  
द्वारा विधिवत  
साक्ष्यांकित नवीनतम  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो चिपकाएं

ए) व्यक्तिगत विवरण (तथ्यों को छिपाने या गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी):

1	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म तिथि (एसएससी प्रमाण पत्र के अनुसार)	
4	आयु दि.01.04.2025 तक	वर्ष            माह            दिन
5	राष्ट्रीयता	
6	समुदाय	
7	वर्तमान पता/डाक पता	
8	आधार सं.	
9	व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर	
10	ई-मेल आईडी	

बी) शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता:

परीक्षा	उत्तीर्ण करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय	प्रयासों की संख्या	कुल अंक	अंकों का प्रतिशत
एमबीबीएस					
पीजी डिप्लोमा*					
पीजी डिग्री*					
पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट डिग्री					
पीजी के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रकाशनों, शोधपत्रों का विवरण					
रोटेटिंग इंटरनशिप पूरी होने की तारीख:					

\* दि. 01.04.2025 को या उससे पहले उत्तीर्ण होना चाहिए. अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने वाले और परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.



पंजीकरण विवरण			
	पंजीकरण संख्या:	दिनांक:	
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग			
राज्य सरकार			
पिछले कार्य अनुभव का विवरण:			
अस्पताल/नगर का नाम	क्षमता	अवधि	
		से	तक

**सी) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न की जाएं:**

- ए. जन्म तिथि के लिए एसएससी/एसएसएलसी प्रमाणपत्र
- बी. सामुदायिक प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र)
- सी. पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट)
- डी. एमबीबीएस की समेकित मार्कशीट
- ई. एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र
- एफ. इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र
- जी. एनएमसी/राज्य पंजीकरण प्रमाणपत्र
- एच. पोस्ट ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र (केवल एनएमसी मान्यता प्राप्त)
- आई. पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र (केवल एनएमसी मान्यता प्राप्त)
- जे. अनुभव प्रमाण पत्र
- के. सम्मेलन प्रमाणपत्र
- एल. प्रकाशन और विवरण
- एम. वर्तमान पते/स्थायी पते का प्रमाण

**डी) घोषणा:**

मैं, डॉ. (श्री/सुश्री)..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
एतद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं। इसके अलावा, मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर उपर्युक्त कथन गलत पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा मेरी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और मैं दंडात्मक/अनुशासनात्मक/सिविल या आपराधिक कानूनी कार्रवाई, जो भी उचित समझा जाएगा के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

मैं समझता/समझती हूँ कि मैं अपनी नियुक्ति से पहले की गई किसी भी यात्रा के लिए किसी भी टीए/डीए/रेलवे पास के लिए पात्र नहीं हूँ।

दिनांक:

स्थान:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर



भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा  
प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री  
\_\_\_\_\_ गांव/शहर \_\_\_\_\_ जिला/मंडल \_\_\_\_\_  
राज्य/संघ शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ समुदाय से  
संबंधित हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या  
\_\_\_\_\_ दिनांकित \_\_\_\_\_ के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के  
रूप में मान्यता प्राप्त है\*. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या उनका परिवार सामान्यतः  
राज्य/संघ शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ जिला/मंडल में रहते हैं. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि  
वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93  
– स्थापना [एससीटी] की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों [क्रीमी लेयर] से संबंधित नहीं हैं. \*\*

जिला मजिस्ट्रेट  
उपायुक्त आदि

दिनांक:

सील

-----  
\* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण देना होगा, जिसमें  
उम्मीदवार का समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग बताया गया है.

\*\* समय-समय पर संशोधित.

नोट: - यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है.



अन्य पिछड़ा वर्ग - वचनबद्धता  
घोषणा/ वचनबद्धता- केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्रीश्री \_\_\_\_\_  
गांव/कस्बा/शहर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य का निवासी  
हूँ, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण  
विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी), दिनांकित 8/9/1993 में निहित आदेशों  
के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैं  
यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन, दिनांकित 8/9/1993 की अनुसूची के  
कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/चयनों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के  
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (आरक्षण) दिनांकित 9/3/2004 द्वारा संशोधित किया गया है।  
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त  
31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पूरा नाम:

पत्राचार पता:

स्थान:

ईमेल:

मोबाइल नंबर:

दिनांक:

नोट: उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं की गई घोषणा/वचनबद्धता को अस्वीकार कर दिया जाएगा।